[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 22 सितम्बर,2017

अधिसूचना

सं0 28/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर(दर)

सा0का0नि0 (अ)- संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 711(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) सूची में,-

(i) क्रम संख्या 27 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनरों में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो'' शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 29 और 45 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो'' शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 और 78 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो'' शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 101 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनर मेंरखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो'' शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे

भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 108 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनरों में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो'' शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम सं0 102 में, कॉलम (2) में प्रविष्टि "2301,2302,2308,2309", प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vii) क्रम सख्या 102 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

"102क	2306	कॉटन सीड आयल केक'';

(viii) क्रम सख्या 130 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"130क	50 से 55	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) एवं केवीआईसी द्वारा प्रमाणित संस्थानों/दुकानों, के द्वारा बेचे गए खादी

		वस्त्र”;

(ix) क्रम सख्या 135 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

“135क	6913	मिट्टी से बनी मूर्तियां” ;

(x) क्रम संख्या 138 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, “हाथ से धागा कताई के चरखे, अम्बर चरखा सहित”, प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(xi) क्रम संख्या 143 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “अनुबंध।। में उल्लिखित स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र”,को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(xii) क्रम संख्या 144 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "सरकंडे से मोड़े, फूलझाडू या झाडू, जोकि सीकों या अन्य वनस्पतियों से बने हों, इकटठे बांधे गए हों, जिनमें हत्थे लगे हों या नहीं ",को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) स्पष्टीकरण,खंड (ii)में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(ii) (क) वाक्यांश "ब्रांड नाम" का अर्थ ब्रांड नाम या व्यापार का नाम है, जिसका अर्थ है, नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जिसका उद्देश्य इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है। या ऐसे व्यक्ति के पहचान के किसी भी संकेत के बिना या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति के बीच व्यापार के क्रम में एक कनेक्शन को इंगित करने के लिए या ऐसा करने के लिए।

(ख)"पंजीकृत ब्रांड नाम" वाक्यांश का अर्थ है, -

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1 999 के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957(1957 का 14) के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड

(ग) अनुच्छेद 2 के बाद, निम्नलिखित अनुबंधकों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"अनुबंध ।

किसी ब्रांड नाम पर कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग के लिए

(क) ऐसा व्यक्ति जो कि यूनिट कंटेनर में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो,जिसे पर ब्रांड नेम छपा हो, यथास्थिति, क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय कर आयुक्त या क्षेत्राधिकार प्राप्त संघ राज्यक्षेत्र अधिकारी के समक्ष, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह स्पष्टीकरण(ii) (क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम पर अपने कार्रवाई योग्य दावे या अपरिवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो कि किसी यूनिट कंटैनरों में ऐसे माल की पैकिग करा रहा हो ,जिस पर, प्रत्येक यूनिट कंटेनर पर ब्रांड नाम छपा हो, अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में अमिट स्याही में यह मुद्रित कराएगा कि ऐसे यूनिट कंटैनर पर मुद्रित स्प्ष्टीकरण (ii) (क) में यथापरिभाषित ब्रांड नाम के संबंध में उसने कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है ।

अनुबंध II

स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्‌ययंत्रों की सूची	
1.	बुलबुल तरंग
2.	दोतार, दोतोरा या दोतारा
3.	एकतारा
4.	गटचू वाद्‌य या झालारी
5.	गोपीचंद या गोपीयंत्र या खामक
6.	गोत्तुधम या चित्राविना
7.	काथो

8.	सरोद
9.	सितार
10.	सुरबहार
11.	सुरसिंगार
12.	सुराबात
13.	स्वरमंडल
14.	तंबूरा
15.	तुंबी
16.	तुनतुना
17.	मगाधी वीणा
18.	हंसवा वीणा
19.	मोहन वीणा
20.	नकुल वीणा
21.	नन्दुनी
22.	रूद्रा वीणा
23.	सरस्वती वीणा
24.	विचित्रा वीणा
25.	येज
26.	रंजन वीणा
27.	त्रिवेणी वीणा
28.	चिकारा
29.	दिलरूबा
30.	एकतारा वायलीन
31.	इसराज

32.	कमायिचा
33.	मयरी वीणा या टाउस
34.	ओनाविलू
35.	बहेला (वाइलिन टाइप)
36.	पीना और बाना
37.	पलुवनवीना-एक तार वाले वायलिन
38.	रावनाहाथा
39.	लोक सारंगी
40.	शास्त्रीय सारंगी
41.	सारींडा
42.	तार शहनाई
43.	गीथू या झल्लारी
44.	गब्बूबा या जामुकु-पर्क्यूशन स्टिंग इंस्टूमेंट
45.	पुल्लुवन्तकुतम
46.	संतूर-हम्मार्ड कॉर्ड वॉक्स
47.	पेपा
48.	पुगी या बीन
49.	भारतीय हारमोनियम डबल रीड
50.	खुजाल
51.	नाडास्वरम
52.	शहनाई
53.	सुंदरी
54.	तंगमुरी
55.	अल्गोजा डबल बांसुरी

56.	बांसुरी
57.	वेणु (क्रर्नाटिक बांसुरी) पुलंगाझल
58.	मसक
59.	तिती
60.	सिश्रुतूपंगा
61.	गोगोना
62.	मोर्सिंग
63.	श्रुति बॉक्स
64.	हारमोनियम हाथ से पंप
65.	इकालम
66.	करनाल
67.	रामसिंगा
68.	काहल
69.	नागफनी
70.	तूरी
71.	डाङ
72.	डामरू
73.	डिमाडी
74.	ढोल
75.	ढोलक
76.	ढोलकी
77.	दुग्गी
78.	घाटिंगहारी या गदसिंगारी
79.	घुमोट

80.	घुमेटा
81.	कंजीरा
82.	खोल
83.	कंपर और धोपर (आदिवासी ड्रम)
84.	माडली
85.	माराम
86.	मिजहवु
87.	मृंदगम
88.	पंखावज
89.	पखवाजोज़री - सिख के टबल के समान साधन
90.	पंजामुखावाद्यम
91.	पुंग
92.	शुधमदलम या मददलम्
93.	तबला / टेबल / चैमली - गॉलेट ड्रम
94.	तबला
95.	तलबतरंग - तालाओं का समूह
96.	तामुट
97.	थानुथीपानई
98.	थिमुला
99.	तंबाकू, तंबकनारी, तंबकनेर
100.	डफ, डफ, डीएएफ या डूफडीमडी या डिम्री-जिंगल के बिना छोटा फ्रेम ड्रम
101.	कांजीरा - एक जिंगल के साथ छोटा फ्रेम ड्रम
102.	कांची - जिंगल के बिना छोटा

103.	पट्यनितप्पा - हाथों से खेला जाने वाला मध्यम फ्रेम ड्रम
104.	चेन्दा
105.	ढोलु
106.	धक
107.	ढोल
108.	ढोली
109.	इडाका
110.	थाविल
111.	उडुकईi
112.	चंडे
113.	नागारा - केटस्लेड्रम्स की जोड़ी
114.	पम्बाई - दो बेलनाकार ड्रम की इकाई
115.	पैरातिप्पु, हल्गी - फ्रेम ड्रम दो स्टिक्स के साथ खेला
116.	संबल
117.	स्टिक डफ या स्टिक डफ - लाठी के साथ खेला जाने वाला स्टैंड में डेफ
118.	तमक
119.	ताशा - केटस्लेड्रम का प्रकार
120.	उर्मि
121.	जलातरंग चिम्पत्ता - पीतल के जिंगल के साथ आग टोंग
122.	चेंगिल - धातु डिस्क
123.	इलाथलम
124.	गेजर - ब्रास पोत
125.	घटक और मटकाम (मिट्टी के बरतन बर्तन ड्रम)
126.	घुंघरू

127.	खारट या चिप्पला
128.	मनजीरा या झंज या ताल
129.	अखरोट - मिट्टी के बर्तन
130.	संकरजांग - लिथोफोन
131.	थाली - धातु प्लेट
132.	थाकुकाजामनाई
133.	कंचारांग, कांच के एक प्रकार
134.	कथाततरंग, एक प्रकार का जेलोफ़ोन

[फा सं..354/117/2017-टीआरयू-भाग II]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं0 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा0का0नि0 711 (अ) तारीख 28 जून, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी ।